इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 16 अक्टूबर 2018 अंक – 10

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया

न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों का सजगता के साथ निरीक्षण करें: श्री कान्ता राव

भोपाल : मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने निर्वाचन सदन में स्थित राज्य-स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया और निर्देश दिये कि पेड न्यूज संबंधी समाचारों को गंभीरता और सजगता के साथ देखा जाए। सभी न्यूज चैनल और समाचार पत्रों की वीडियो क्लिपिंग और कटिंग को संधारित किया जाए।

श्री कांताराव ने कहा कि जिलों में स्थित एमसीएमसी समिति पेड न्यूज संबंधी रिपोर्ट अनुशंसा कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगी, जिसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी संबंधित प्रत्याशी को इस संबंध में

नोटिस जारी करेंगे। पेड न्यूज होने पर उसका व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। असंतुष्ट होने पर प्रत्याशी इसकी अपील राज्य-स्तरीय एमसीएमसी को करेगा। श्री राव ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत आने पर मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष से भी जानकारी प्राप्त की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने मीडिया निगरानी कक्ष के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यूज चैनल्स को स्क्रीन पर 24 घंटे देखा जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम न्यूज पेपर्स की कटिंग कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद 678 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार की रिपोर्ट एमसीएमसी के नोडल अधिकारी को भेजी जा चुकी है।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मीडिया निगरानी कक्ष स्थापित कर 20 से अधिक टी.वी. स्क्रीन पर न्यूज चैनलों पर चलने वाले समाचारों और विज्ञापनों को मॉनीटर किया जा रहा है। अपर संचालक जनसम्पर्क श्री एल.आर. सिसोदिया को इस कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। इनके साथ संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक और सहायक जनसम्पर्क अधिकारियों और 30 से अधिक कर्मचारी न्यूज चैनलों पर 24 घंटे समाचारों की निगरानी कर न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं।

===

21 हजार 562 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

भोपाल : मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिये 21 हजार 562 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है और 1 लाख 37 हजार 586 शस्त्र जमा कराये गये हैं। इसी दौरान 767 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं। 10 हजार 355 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 8 लाख 1 हजार 104 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 6 लाख 41 हजार 820 प्रकरण और निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 1 लाख 59

हजार 284 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। पंजीबद्ध प्रकरणों में शासकीय संपत्ति के 6 लाख 32 हजार 800 प्रकरणों में तथा निजी संपत्ति के 1 लाख 42 हजार 461 प्रकरणों में, इस तरह कुल 7 लाख 75 हजार 261 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। इसी अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 3 हजार 244 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

स्वीप गतिविधियों की क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रति सप्ताह प्रस्तुत करें: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

स्वीप पार्टनर विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल : मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने स्वीप पार्टनर विभागों से कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप पार्टनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान कराये जाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित करें। संस्थानों में फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर लगायें। वीडियो और जिंगल्स से मतदान के लिये अपील भी प्रसारित करें। सभी विभागों में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता मंच का गठन किया जाये। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के मतदाता परिचय पत्र बने हों। कार्यालयों में ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट के संचालन का प्रदर्शन करायें। स्वीप पार्टनर विभाग अपने उपभोक्ताओं, लाभार्थियों और आम जनता के लिये ईव्हीएम, व्हीव्हीपेट का प्रदर्शन और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रचार-प्रसार करें।

श्री कान्ता राव ने बैंक और पोस्ट ऑफिस के नोडल अधिकारियों से कहा कि सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में 28 नवम्बर को मतदान करने की अपील के पोस्टर और बैनर लगवायें। सभी एटीएम मशीनों पर इलेक्ट्रॉनिक विंडो पर भी मतदान की अपील दिखनी चाहिये। पेट्रोल पंपों पर भी मतदान की अपील संबंधी बैनर और पोस्टर लगवायें। एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, नगर निगम के स्वच्छता वाहन, इंटरसिटी बसों और अंतर्राज्यीय बसों में भी वीडियो

संदेश प्रसारित हो। फ्लेक्स, बैनर और टिकटों पर भी मतदान की अपील करें। उपरोक्त सभी गतिविधियों का रिकार्ड संधारित कर प्रति सप्ताह रिपोर्ट, स्वीप के नोडल अधिकारी को अनिवार्यत: भिजवायें।

बैठक में आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में बताया कि सभी 230 विधानसभाओं में ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट संबंधी जानकारी के साथ 28 नवम्बर को मतदान की अपील के 3400 फ्लेक्स लगवाये हैं। जिला निर्वाचन कार्यालयों और संभागायुक्त कार्यालयों में आम जनता के लिये निर्वाचन संबंधी फ्लेक्स लगवाये गये हैं और 1 लाख 30 हजार स्थानों पर निर्वाचन जागरूकता के लिये दीवार लेखन का कार्य करवाया गया है। दो सौ से अधिक प्रेस नोट, 16 चैनलों पर विज्ञापन, 267 सिनेमाघरों में मतदान की अपील और निर्वाचन संबंधी वीडियो जारी किये जा चुके हैं। यू-ट्यूब पर निर्वाचन संबंधी 22 वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं। इसी के साथ, विभागों को निर्वाचन संबंधी फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, जिगंल्स, वीडियो और निर्वाचन संबंधी नारे उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

बैठक में श्री राव ने स्काउट गाईड, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रास, समाजिक न्याय विभाग और महिला बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि चुनाव में दिव्यांगजनों के लिये वॉलेन्टियर्स की व्यवस्था करें। मतदान के समय ये वॉलेन्टियर्स दिव्यांगजनों को घर से लाने, मतदान कराने और वापस छोड़ने के लिये दिव्यांग मित्र के रूप में कार्य करेंगे। जिलों में कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर बूथ लेवल पर वॉलेन्टियर्स नियुक्त करें।

बैठक में संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी श्री विकास नरवाल ने स्वीप की गतिविधियों के संबंध में विभागों के नोडल अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। स्वीप पार्टनर्स के रूप में 33 विभागों के नोडल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP